पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तरांचल

बनाम

जगदीश चन्द्र सिंह बोरा व अन्य

(सिविल अपील संख्या 3034/2007)

03 मार्च, 2014

(सुरिंदर सिंह निज्जर और रंजना प्रकाश देसाई, जे.जे.)

उत्तरांचल अधीनस्थ इंजिनियरिंग सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती) नियम, 2001: नियम 5 (4)-2001 नियम के तहत जूनियर इंजिनियर के पद का चयन बाबत- विज्ञापन तथा 2001 नियम प्रशिक्षित प्रशिक्षु को कोई वेटेज/भार दिये जाने हेतू उल्लेख नहीं करता है- 2001 नियम दिनांक 11.11.2002 को अस्तित्व हो गये- दिनांक 31.07.2003 को 2003 नियम बनाये गये- नियम 2003 सभी वर्तमान नियम अधिक्रमित करते है किन्तु 2001 के नियम 5(4) को 2003 नियम के नियम 5(4) द्वारा स्थानान्तरित किया गया- 2003 नियमों का नियम 5(4) यह उपबंध करता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक में प्रशिक्षित प्रशिक्षु को दस अंकों की अतिरिक्त वृद्धि होगी- प्रत्यर्थियों- रिट याची कर्ता द्वारा दावा किया कि जिन उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है उनका चयन अतिरिक्त दस अंक दिया जाकर किया जावे- निर्धारित: सभी उम्मीदवारों द्वारा जिनमें प्रत्यर्थी भी शामिल है चयन

प्रक्रिया 2001 नियमों के तहत यह पूरी तरह से जानते हुए भाग लिया गया कि प्रशिक्षित प्रशिक्षु को कोई प्राथमिकता नही दी जायेगी- इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षु को 2001 नियमों के तहत कोई निहित अधिकार प्राप्त हो गया है- नियम 2003 दिनांक 31.07.2003 से प्रभावी हुये है और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव नही दिया गया है- 2003 नियमों का किसी भी प्रकार से 2001 नियमों को संशोधित करने का प्रभाव नही रहा है जो कि नियम 6 अनुसार दिनांक 11.11.2001 से अस्तित्व हीन हो चुके है-चयन प्रक्रिया अन्तर्गत विज्ञापन 2001 का बदलाव किया जाना पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है- चूंकि 2001 नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षु को कोई प्राथमिकता नही दी गयी थी ऐसे में उस श्रेणी के काफी पात्र उम्मीदवारों द्वारा आवेदन तक नहीं किया गया होगा- अतः ऐसी प्राथमिकता दिया जाना स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा- सेवा विधि- चयनः

परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचना: कार्यकारी आदेश- बाध्यकारी प्रभाव- निर्धारित: कार्यकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते। ऐसे कार्यकारी आदेश/निर्देश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के पूरक हो सकते हैं।

उत्तराचंल राज्य दिनांक 09 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। लोक सेवा आयोग (पीएससीयू) मई 2001 को स्थापित हुआ। 12 नवम्बर 2001 को उत्तरांचल सरकार ने उत्तराचंल अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती नियम 2001 को बडी संख्या में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पद भरने हेतू बनाया जो कि उत्तराचंल राज्य के अस्तित्व में आने से उपलब्ध हुये थे। राज्य ने पीएससीयू को एक प्रस्ताव दिनांक 02 नवम्बर 2001 को लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतू भेजा। लिखित परीक्षा आईआईटी द्वारा आयोजित की जानी थी क्योंकि पीएससीयू के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नही था। तत्पश्चात् विज्ञापन दिनांक 27 नवम्बर 2001 के अनुसरण में लिखित परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2002 को आईआईटी द्वारा आयोजित की गई और लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 10 जूलाई 2003 को घोषित किया गया।

दिनांक 31 जूलाई 2003 को एक अधिसूचना वर्तमान नियम व विनियम को हटाते हुए जूनियर इंजिनयर की सभी विभागों में सीधी भर्ती से संबंधित चयन प्रक्रिया हेतू जारी की गई। सभी उम्मीदवार जिनके द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई थी उन्हें साक्षात्कार हेतू दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2003 के मध्य बुलाया गया।

अधिसूचना दिनांक 31 जूलाई 2003 के तहत नियम 5(4) के अनुसार यह उपबंध किया गया कि चयन के उद्देश्य हेतू लिखित परीक्षा में

प्राप्त अंक को साक्षात्कार में प्राप्त अंक के साथ जोडा जायेगा किन्तु अंतिम योग्यता सूची तैयार करने हेतू जिन उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उन्हें लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अतिरिक्त दस अंक भी दिये जायेगें। लेकिन पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2004 के जरिये यह स्पष्ट किया गया कि दस अंकों का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों के पूर्ण अंकों में जोडा जायेगा जिन्होनें प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और जब सीधी भर्ती उम्मीदवार तथा प्रशिक्षु उम्मीदवार समान स्तर पर हो। तत्पश्चात् सफल उम्मीदवारों की चयनित सूची तैयार की गई और राज्य सरकार को दिनांक 15 मई 2004 को भेजी गई।

अतिरिक्त दस अंको को नही जोडे जाने के कारण व्यथित बडी संख्या के असफल उम्मीदवार जो कि प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की श्रेणी में आते है उन्होनें संख्या में याचिकाएं में पेश की जिसमें उन्होनें परमादेश की प्रकृति की रिट इस निर्देश हेतू पेश की कि अपीलार्थी अतिरिक्त दस अंक कुल अंको में जोडे जिनके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। यह कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका केवल इस आधार पर स्वीकार कर ली गई कि स्पष्टीकरण दिनांक 29 अप्रैल 2004 वैधानिक नियम जो कि अनुच्छेद 309 के तहत दिनांक 31 जूलाई 2003 के तहत बनाये गये है उन्हें संशोधित करने का प्रभाव नही रख सकता था। यह निर्धारित किया गया कि 29 अप्रैल 2004 को जारी किया निर्देश उसी चयन से संबंधित था जिस पर संशोधित नियम 2003 लागू होते थे इसलिए जी.ओ. दिनांक 29

अप्रैल 2004 कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति के होने के कारण वैधानिक नियमों का स्थान नही ले सकते थे बल्कि केवल वैधानिक नियमों के पूरक ही हो सकते थे और इस कारण से ये अपीलें की गई है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया:

1. 2001 के नियमों को विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था। यह कि भर्ती कि इतनी तत्काल आवश्यकता थी कि चूंकि पीएससीयू का बुनियादी ढांचा अस्तित्व में नही था इसलिए अनुरोध किया गया कि इस अवसर पर पदों को पीएससीयू के दायरे से बाहर कर दिया जाये और लिखित परीक्षा आईआईटी रूडकी द्वारा आयोजित की जाये। यह कि पीएससीयू इस प्रक्रिया से सहमत हुआ किन्तु केवल लिखित परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित रहा। साक्षात्कार अभी भी पीएससीयू द्वारा ही आयोजित किये जाने थे। 2001 के नियम विशेष रूप से उन उम्मीदवारो के चयन के लिए बनाये गये थे जिन्होने उपलब्ध पदों के लिए आवेदन किया। नियम 4 जूनियर इंजिनयर के पद पर चयन के लिए व्यापक मानदण्ड प्रदान करता है। लिखित परीक्षा आईआईटी रूडकी द्वारा आयोजित की जानी थी। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारो द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर किया जाना था। लिखित

परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची आईआईटी रूडकी द्वारा पीएससीयू को उपलब्ध करायी जानी थी। इसके बाद पीएससीयू को लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना था। धारा 4(11) यह उपबंध करता है कि पीएससीयू उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोडकर एक योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किये है तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक भी समान है तो बडे उम्मीदवार को छोटे उम्मीदवार की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जानबूझकर राज्य ने नियमो के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता देने का प्रावधान नही किया है। नियमों मे निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 27 नवम्बर 2001 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई अधिक महत्व दिये जाने का प्रावधान नही दिया था। प्रत्यर्थियों ने सभी उम्मीदवारों के साथ चयन प्रक्रिया मे ंपूरी तरह जानते हुए भाग लिया कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नही दी जायेगी। अतः यह नही कहा जा सकता कि 2001 के नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओ को कोई उपार्जित या निहित अधिकार प्राप्त हुआ था। (मद संख्या 18, 20) (1045-बी, सी-ई, 1046-सी-एच, 1047-ए)

यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट रोड कॉर्पोरेशन व अन्य बनाम यूपी परिवहन निगम शिशुक बेरोजगार संघ व अन्य (1995) 2 एससीसी 1: 1995 (1) एसी सी आर 204- पर आधारित।

2. लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जूलाई 2003 को घोषित किया गया था। पीएससीयू द्वारा साक्षात्कार 18 दिसंबर 2003 से 22 दिसबंर 2003 तक आयोजित किया गया था, इसके बाद केवल चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना था और नियुक्तियां की जानी थी। 2001 के नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि नियम केवल अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के लिए वर्ष 2002 में सीधी भर्ती के लिए लागू है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह अप्रभावी हो जाएगें। तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थी शासन में लागू सेवा नियमों एवं शासनादेशों द्वारा शासित होगें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 12 नवबंर 2002 को 2001 के नियमों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। हालांकि 31 जूलाई 2003 को 2003 के नियम बनाये गये थे। नियमों के शीर्षक का अवलोकन करने से पता चलता है कि नियम 31 जूलाई 2003 को लागू हुये थे। ये नियम सभी मौजूदा नियमों का स्थान लेते है लेकिन 2001 के नियमों के नियम 5 (4) को 2003 के नियमों के नियम 5 (4) द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है। 2001 के नियमों के नियम 5 (4) में प्रावधान है कि चयन के लिए साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के अंकों

में जोडे जायेगें लेकिन 2003 के नियमों के नियम 5 (4) में प्रावधान है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के मामले में लिखित परीक्षा मे प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक में 10 अतिरिक्त अंक की वृद्धि की जायेगी। हमारी राय में, प्रत्यर्थियों ने इन नियमों का कोई लाभ नही उठा सकते है। चयन प्रक्रिया 2001 के नियमों के तहत थी। 2001 के नियमों के साथ साथ विज्ञापन में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को दिये जाने वाले किसी भी अतिरिक्त अंक/वैटेज का प्रावधान नही था। 2003 के नियम 31 जूलाई 2003 को लागू हुये। नियमों में इस आशय का कोई स्पष्ट प्रावधान किये बिना इन्हें कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नही दिया जा सकता है। इसके अलावा 2001 के जिन नियमों में संशोधन की बात कही गयी थी वे नियम वास्तव में अस्तित्वहीन थे। 2001 के नियम 11 नवबंर 2001 को नियम 6 के संदर्भ में समाप्त हो गये। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि 2001 के नियमों के तहत 2001 मे शुरू हुई चयन प्रक्रिया में 2003 के नियम लागू होते थे। (मद संख्या 21,22 व 23) (1047-बी -एच, 1048-ए-बी)

3. उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है चूंकि 2003 के नियम उत्तरांचल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2002 की रिट याचिका संख्या 44 (एसबी) में सुभाष चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य शीर्षक से जारी निर्देशों के अनुपालन में बनाए गए थे। वे चयन से संबंधित होंगे जो 2001 के नियमों और 27 नवंबर, 2001 को राज्य द्वारा जारी किए गए

विज्ञापन द्वारा शासित थे। हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि हालांकि 2003 के नियमों को प्रथम संशोधन नियम के रूप में शीर्षक दिया गया है, वह एक मिथ्या नाम है। 2003 के नियमं 2001 के नियमों को संशोधित कर जो 11 नवंबर, 2001 से नियम 6 के संदर्भ में पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसलिए, प्रत्यर्थी यह दावा नहीं कर सकते कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का कोई अर्जित या निहित अधिकार चयन बाबत 2001 के नियमों में अथवा विज्ञापन दिनांक 11 नवम्बर 2001 को 2004 के स्पष्टीकरण द्वारा हटा दिया गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद्रा के मामले (सुप्रा) में केवल उन्हीं निर्देशों को दोहराया था जो इस न्यायालय द्वारा यूपीएसआरटीसी (सुप्रा) के मामले में दिए गए हैं। उन निर्देशों के अस्तित्व में होने के बावजूद, 2001 के नियमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। हमने पहले भी देखा था कि प्रत्यर्थी, असफल उम्मीदवार जो प्रशिक्षित प्रशिक्षु थे, पीएससीयू द्वारा चयन सूची प्रकाशित होने के बाद ही जागे थे। हम यह भी बता दे कि भले ही 2003 के नियम उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाए गए हो, नियम 31 जुलाई, 2003 को लागू हुए। इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त नियम लागू थे चयन के लिए जो 2001 के नियमों और 11 नवंबर, 2001 के विज्ञापन के तहत शासित था। उम्मीदवारों ने उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था। जैसा कि पहले देखा गया था। इस मामले में विज्ञापन 27 नवंबर, 2001 को जारी किया गया था। इसमें

2001 के नियमों में निर्धारित चयन के मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 12 नवंबर, 2001 को अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में लिखित परीक्षा आई.आई.टी. रूड़की द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2002 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई, 2003 को घोषित किया गया। 2003 के नियम 31 जुलाई, 2003 को अधिसूचित किए गए। साक्षात्कार 18 दिसंबर, 2003 से 22 दिसंबर, 2003 के बीच आयोजित किए गए। 2001 के नियमों के अनुसार, साक्षात्कार के लिए दिए जाने वाले अंक लिखित परीक्षा के अंकों से 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते थे। 2001 के नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की श्रेणी में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंकों में 10 अंक जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसे 2003 के नियमों द्वारा लागू करने की मांग की गई थी जो 31 जुलाई, 2003 को लागू हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, 27 नवंबर, 2001 को विज्ञापित चयन मानदंड में बदलाव करना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। चूंकि कोई प्राथमिकता प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए नहीं दी गई थी ऐसे में उस श्रेणी के कई पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया होगा। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इस हद तक हम श्री हंसारिया द्वारा की गई दलील को स्वीकार करते हैं। चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। (मद संख्या 24,25) (1048-बी -एच, 1049-सी-ई)

के मंजु श्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 3 एससीसी 512: 2008 (2) एससीआर 1025- पर आधारित।

4. यह मानना गलत है कि है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ केवल उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं तक ही सीमित है, जिन्होंने सीधी भर्ती की श्रेणी में एक या अधिक उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। इस न्यायालय के निर्णय यूपीएसआरटीसी में दिये गये निर्देशों पर तर्क आधारित किया गया जो कि निम्नानुसार है- "अन्य बातें समान होने पर एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु को सीधी भर्ती से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए"

स्वाभाविक अर्थ यह है कि सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन प्रक्रिया, यानी एक ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना पड़ा होगा। इसके अलावा, उनकी परस्पर योग्यता दोनों श्रेणियों पर लागू समान मानदंडों पर निर्धारित की जाती है। इस मामले में, यह उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग है। प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते हैं क्योंकि उनसे आम तौर पर लिखित परीक्षा में सीधी भर्ती से कम अंक प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की लिखित परीक्षा के कुल योग में 10 अंक जोड़कर, उन्हें सीधी भर्ती के बराबर रखने की मांग की गई है। इसलिए, अनिवार्य रूप से यह प्राथमिकता बोर्ड भर के सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को दी जानी है। इसे केवल उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है जो

संयोगवश सीधी भर्ती के एक या अधिक के समान अंक प्राप्त कर लेते हैं। यदि अतिरिक्त 10 अंक केवल ऐसे प्रशिक्षित उम्मीदवारों तक ही सीमित किये जाने है तो इसके परिणामस्वरूप शत्रुता पूर्ण भेदभाव होगा। इसे एक उदाहरण देकर सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए कि प्रशिक्षित प्रशिक्षु श्रेणी से संबंधित 10 उम्मीदवार है। अब मान लीजिए कि उम्मीदवार नंबर 1 ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जबकि उम्मीदवार नंबर 2 से 10 ने कुल अंक 51 से 59 तक प्राप्त किए है लेकिन उम्मीदवार नंबर 1 ने सुरक्षित किया है सीधी भर्ती के समान कुल अंक प्राप्त किये है अर्थात, 50 प्रतिशत जबकि अभ्यर्थी क्रमांक 2 से 10 ने किसी भी सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त नहीं किए है। 29 अप्रैल, 2004 के स्पष्टीकरण के आधार पर उम्मीदवार नंबर 1 को 10 प्रतिशत वेटेज का लाभ मिलेगा और नंबर 2 से 10 तक के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीदवार नंबर 1 को वेटेज दिए जाने के बाद उसके कुल अंक 60 प्रतिशत होंगे। इससे उसे अन्य सभी उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा, यानी उम्मीदवार नंबर 2 से 10 तक, जिन्होंने उम्मीदवार नंबर 1 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनके पास वास्तव में कम अंक है यदि उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया जाता है। इसलिए, उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी संख्या 2 से 10 तक को इंटर-से-मेरिट में अभ्यर्थी क्रमांक 1 से निचली रैंक पर दिखाया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु

उम्मीदवार जो अपने सहकर्मी से कम अंक प्राप्त करता है न केवल सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों से आने निकल जाएगा, बल्कि अपनी ही श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भी आगे निकल जाएगा। इस तरह की व्याख्या से बेतुके परिणाम सामने आएंगे। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देने का यह इरादा नहीं है। श्री हंसारिया द्वारा रखी गई व्याख्या वास्तव में प्रशिक्षित प्रशिक्षु उम्मीदवारों की श्रेणी के भीतर एक उप-वर्गीकरण तैयार करेगी। इस तरह के उप-वर्गीकरण का प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तार्किक संबंध नहीं होगा। प्राथमिकता का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को महत्व देना है ताकि राज्य को राज्य खर्च पर उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का लाभ व्यर्थ ने जाए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। (मद संख्या 26) (1049-एफ -एच, 1050-ए-एच, 1051-ए-सी)

5. यूपीएसटीआरसी के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी एकमात्र निर्देश सीधी भर्ती के उपर प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देना था। फैसले में इस बात का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि प्राथमिकता कैसे दी जानी है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के खर्च पर प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रशिक्षण का उपयोग किया जाए कुछ निर्देश जारी किए गए जिन्हें पहले दोहराया गया है। जैसा कि पहले देखा गया था उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, चयन प्रक्रिया में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जो 2001 के नियमों और 27 नवंबर, 2001

के विज्ञापन द्वारा शासित थी। चयन की प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद्रा के मामले में अपना फैसला सुनाया। 2003 के नियमों को 31 जुलाई, 2003 से तैयार और लागू किया गया नतीजतन, जब साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे थे, तो पीएससीयू को 2003 के संशोधन नियमों का सामना करना पडा और इसलिए, पीएससीयू ने 5 अप्रैल, 2004 को एक पत्र द्वारा स्पष्टीकरण मांगा कि चयन प्रक्रिया में 2001 के नियम लागू होंगे या 2003 के नियम लागू होंगे। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने कानूनी सलाह के आधार पर 29 अप्रैल, 2004 को पीएससीयू को लिखा कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता तभी दी जानी है, जब दोनों उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हों। कानूनी राय में स्पष्ट किया गया कि 2003 के संशोधित नियम पूर्व में शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे। इसलिए 2001 नियमावली के तहत चयन प्रक्रिया को बाहर रखा गया। हालांकि, 2004 के स्पष्टीकरण का 2003 के नियमों में संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निस्संदेह, 2004 का स्पष्टीकरण केवल एक कार्यकारी आदेश है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि कार्यकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते। ऐसे कार्यकारी आदेश/निर्देश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के पूरक हो सकते हैं। यद्यपि 29 अप्रैल, 2004 के स्पष्टीकरण का 2003 के नियमों को अधिक्रमित, संशोधित या परिवर्तित करने का प्रभाव नहीं होगा,

प्रत्यर्थियों को फिर भी कोई राहत देना संभव नहीं होगा। 2003 के नियमों के तहत मानदंड भविष्य की सभी भर्तियों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्यर्थियों (प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं) का दावा 2003 के नियमों में किए गए तथाकथित संशोधन के आधार पर 2001 के नियमों के तहत कवर नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने एक गलती की सबसे पहले, यह मानकर कि 2003 के नियम लागू होते हैं, और दूसरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय दिए जाने के समय तक सभी पद भरे हुए थे। (मद संख्या 27,28) (1051-डी, जी -एच, 1052-ए-जी, 1053-ए-बी)

यूपी राज्य विद्युत परिषद अप्रेन्टिस वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम यूपी राज्य व अन्य (2000) 5 एस सी सी 438, एन.टी. देवेन कटी व अन्य बनाम कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन व अन्य (1990) 3 एस सी सी 157, पी.महेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (190) 1 एस सी सी 411 : 1989 (2) एसयूपीपीएल. एस सी आर 385,सोनिया बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (2007) 10 एस सी सी 627: 2007 (8) एस सी आर 883,तिवारी व अन्य बनाम शकुंतला शुक्ला व अन्य (2002) 6 एस सी सी 127: 2002 (2) एस सी आर 948, मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य व अन्य (2010) 12 एस सी सी 576, राम जी पुरूषोत्तम (मृतक) एल आर व अन्य बनाम लक्ष्मण भाई डी.कुरलावाला (मृतक) एल आर व अन्य (2004) 6 एस सी सी 455

केस लॉ रैफरेंस

1995 (1) एस सी आर 204	रैफर्ड टू	पैरा 8
(2000) 5 एस सी सी 438	रैफर्ड टू	पैरा 9
(1990) 3 एस सी सी 157	रैफर्ड टू	पैरा 14
1989 (2) एसयूपीपीएल. एस सी आर 385	रैफर्ड टू	पैरा 14
2007(8) एस सी आर 883	रैफर्ड टू	पैरा 14
2002(3) एस सी आर 948	रैफर्ड टू	पैरा 14
(2010) 12 एस सी सी 576	रैफर्ड टू	पैरा 14
(2004) 6 एस सी सी 455	रैफर्ड टू	पैरा 16
2008(2) एस सी आर 1025	रीलिड ऑन	पैरा 25

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 3034/2007

फॉर्म उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की रिट याचिका संख्या 149, 129, 135, 136, 137, 147, 148, 162, 169, 255, 302, 186, तथा 300 वर्ष 2000 (एस/बी) के निर्णय व आदेश दिनांक 02-03-2006 से साथ

सिविल अपील नंबर 3036/2007

विजय हंसारिया, जतीन्द्र कुमार भाटीया, अजय कुमार, कृष्ण प्रकाश दुबे फॉर द अपीलांट

एस आर सिंह, अंकुर यादव, उज्जवल पाण्डे, राजसिंह राणा, के एस राणा, पी एन गुप्ता, अश्विनी भारद्वाज, प्रतीक द्विवेदी,रचना श्रीवास्तव फार द रेस्पोंडेंटस्

न्यायालय का निणर्य पारित किया गया निर्णय

सुरिंदर सिंह निज्जर, जे.

1. ये अपीलें लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार (इसके बाद ''पीएससीयू के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है जिसमें रिट याचिका संख्या 149, 129, 135, 136, 137, 147, 148, 162, 169, 255, 302, 186, तथा 300 वर्ष 2000 में दिनांक 02 मार्च 2006 को उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के फैसले को चुनौती दी गई है। उपरोक्त निर्णयानुसार उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को यह निर्देशित किया है कि वह उत्तरांचल अधीनस्थ सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम 2003 के तहत 10 अंक बोनस के तौर पर देवे जिसका यूपीएससीयू द्वारा चयन किया गया है और 10 अंक जोडे जाने के पश्चात् चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार की जावे और सरकारी नियुक्ति हेतू अनुशंषा की जावे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया है कि सभी सफल अभ्यर्थियों को चयनित प्रशिक्षुओं की योग्यता सूची के अनुसार जूनियर इंजीनियर की शेष रिक्तियों पर अलग- अलग सरकारी विभागों तथा अन्य राजकीय उपक्रमों में

नियुक्ति दी जावे। इसके आगे यह भी निर्देशित किया है कि उपरोक्त आदेश इसके प्रकाशन की तारीख से 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

2. सिविल अपील नंबर 3036 वर्ष 2007 ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय दिनांक 31 मार्च 2006 को आक्षेपित किया है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 446 वर्ष 2006, 275 वर्ष 2004, 166 वर्ष 2004, 138 वर्ष 2006, 133 वर्ष 2004 व 775 वर्ष 2006 को अपने पूर्व निर्णय दिनांक 02 मार्च 2006 के अनुसार स्वीकार किया था जो कि सिविल अपील नंबर 3034 वर्ष 2007 की विषयवस्तु है।

3. यह कि वर्ष 2001 में उत्तरांचल राज्य के विभिन्न विभागों में बडी संख्या में जूनियर इंजीनियरों की रिक्तियां मौजूद थी अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2001 को लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पीएससीयू को एक प्रस्ताव भेजा गया था। यह लिखित परीक्षा आई.आई.टी. रूडकी द्वारा आयोजित की जानी थीक्योंकि पीएससीयू के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नही था। पीएससीयू की स्थापना 9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के तुरत बाद मई 2001 में की गई थी। 12 नवम्बर 2001 को उत्तराचंल सरकार ने उत्तराचंल अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती) नियम 2001 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत तैयार किया। यह नियम राजपत्र अधिसूचना संख्या 1973/एक-2001 दिनांक 12 नवम्बर 2001 के

माध्यम से अधिसूचित किये गये। ऐसा प्रकट होता है कि यह नियम केवल बडी संख्या में जूनियर इंजीनियरों के पदों को भरने के लिए बनाये गये थे जो उत्तरांचल राज्य की स्थापना होने पर उपलब्ध हुये थे और इसलिए नियम विशेष रूप से यह उपबंध करते है कि:-

'' भर्ती की प्रकिया पूरी होने के बाद नियम अप्रभावी हो जायेगें क्योंकि इन्हें कभी भी प्रख्यापित नही किया गया है। नियमों के आधार पर चयनित उम्मीदवार सेवा नियमों और सरकारी आदेशों जो कि सरकार में पूर्व में लागू है, द्वारा शासित होगें।

4.नियम 5 जो कि उम्मीदवार का चयन करना और योग्यता सूची तैयार करने के तरीके से संबंधित है इस प्रकार है-

''4. परीक्षा आयोजित करने की विधि

(1)नियुक्ति अधिकारी एससी, एसटी व ओबीसी रिक्तियों की संख्या को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को सूचित व रिक्तियों को तय करेगा जो उन्हें अखबारों में प्रकाशित करेगा।

(2) चयन हेतु आवेदन पत्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में कीमत की एवज में आमंत्रित किये जायेगें।

(3) भले ही सुसंगत सेवा नियम मुद्दे या सरकारी आदेश के विपरित हो तब भी आई आई टी रूडकी की अनुमति से सीनीयर इंजीनियर की सीधी भर्ती हेतू परीक्षा आयोजित करेगा।

(4) चयन के लिए साक्षात्कार के अंकों को लिखित परीक्षा के अंकों में जोडा जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आईआईटी रूडकी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(6) साक्षात्कार के अंक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगें जो कि लिखित परीक्षा से 12.5 प्रतिशत से ज्यादा नही होगें।

(7) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित किये जायेगें।

(8) लिखित परीक्षा आईआईटी रूडकी द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित की जायेगी।

(9) आईआईटी रूडकी लिखित परीक्षा के आधार पर सूची तैयार कर लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को उपलब्ध करायेगा।

(10) आयोग लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंकों के आधार पर उम्मीदवारो को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(11) आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में भी अंक समान है तो अधिक उम्र के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी और तदनुसार मेरिट

सूची में रखा जायेगा। योग्यता सूची में अंकित नाम संपूर्ण रिक्तियों के 25 प्रतिशत से ज्यादा नही होगी।

(12) आयोग मेरिट सूची कार्मिक विभाग को अग्रेषित करेगा।

5. 27 नवंबर 2001 को राज्य सरकार ने जूनियर इंजीनियरों की रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया, उसके साथ आवेदन पत्र का एक निर्धारित प्रारूप संलग्न था। विज्ञापन के नियम और शर्तें 2001 के नियमों के अनुरूप थी। लिखित परीक्षा आईआईटी रूड़की द्वारा 12 जनवरी,2002 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई, 2003 को घोषित किया गया था।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न विभागों में जूनियर इंजिनयर की सीधी भर्ती के संबंध में चयन प्रक्रिया के सभी मौजूदा नियमों और विनियमों को खत्म करते हुए 31 जूलाई 2003 को एक अधिसूचना जारी की गयी थी। अधिसूचना इस प्रकार है

'' उत्तरांचल सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना विविध

दिनांक 31.07.2003

क्रमांक 1097/एक/2 2003 माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत विभिन्न इंजिनियरिंगं विभागों के लिए प्रभावी सेवा नियमों को एक बार अतिक्रमित किया गया है और जूनियर इंजिनियरों की सीधी भर्ती के लिए निम्नानुसार नियम बनाये गये है -

उत्तरांचल अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम 2003

3. संक्षिप्त नाम, का आरंभ और अनुप्रयोग/प्रभाव

(i) नियमों को उत्तरांचल अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम 2003 कहा जायेगा।

(ii) यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगें

(iii) उत्तरांचल अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती नियम 2001 में कॉलम 1 में दिये गये नियम 5(4) को कॉलम 2 में दिये गये नियम से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
5(4) साक्षात्कार अंक को लिखित परीक्षा के अंक में चयन हेतु जोडा जावेगा	चयन हेतू लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंक को जोडा जायेगा किन्तु योग्यता सूची बनायी जाने हेतू उन उम्मीदवारों को जिन्होनें संबंधित

	विभाग में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उन्हें 10 अंक बोनस के तौर पर लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अतिरिक्त मिलेंगें।

7. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन्हे 18 दिसम्बर 2003 से 22 दिसम्बर 2003 तक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 31 जूुलाई 2003 की अधिसूचना में नियम 5 (4) में प्रावधान किया गया था कि चयन के उद्देश्य से लिखित परीक्षा में प्राप्तांक व साक्षात्कार में प्राप्तांक को जोडा जायेगा किन्तु अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षुता पूरी कर चुके उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्तांकों के अतिरिक्त दस अंक दिये जायेगें। हालांकि 29 अप्रैल 2004 के पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षुता पूरी कर चुके उम्मीदवारों के कुल अंकों में दस अंक जोडे जायेगें केवल वहां जहां सीधी भर्ती का उम्मीदवार तथा प्रशिक्षु उम्मीदवार समान स्तर पर हो। इसके बाद सफल उम्मीदवारों की चयनित सूची तैयार की गई और 15 मई 2004 को राज्य सरकार को भेज दी गई।

8 यह कि अतिरिक्त दस अंक न दिये जाने से व्यथित होकर प्रशिक्षुता श्रेणी में बडी संख्या में असफल उम्मीदवारों ने कई याचिकायेंदायर

की जिसमें अपीलकर्ता को दस अतिरिक्त अंकों का लाभ देने के बाद चयन करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति की रिट की मांग की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में याचिका कर्ताओं ने दावा किया था कि प्रकरण यूपी राज्य सडक परिवहन निगम व अन्य बनाम यूपी परिवहन निगम शिशुक बेरोजगार संघ व अन्य में इस न्यायालय के निर्देशो के मध्यनजर प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी थी। उपरोक्त निर्णय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये थे।

''(1) अन्य चीजें समान होने पर, एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु को सीधी भर्ती पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) इसके लिए प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार कार्यालय द्वारा अपना नाम प्रायोजित करने की आवश्यकता नही होगी। इस न्यायालय का निर्णय भारत संघ बनाम एन एन हरगोपाल इसकी अनुमति देता है।

(3) यदि प्रशिक्षु के रास्ते में उम्र की बाधा आती है तो संबंधित सेवा नियम में इस संबंध में कही गई बातो, यदि कोई हो के अनुसार उसमें छूट दी जायेगी। यदि सेवा नियम इस पहलू पर मौन है तो प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि की सीमा तक छूट जायेगी।

(4) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान वर्षवार प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक सूची बनायेगें। पूर्व प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाद में प्रशिक्षित व्यक्तियों से

वरिष्ठ माना जायेगा।प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के मध्य उन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो वरिष्ठ है।

9. इन निर्देशों को इस न्यायालय के निर्णय यूपी राज्य विद्युत परिषद अप्रेन्टिस वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम यूपी राज्य व अन्य में दोहराया गया था।

10. उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं ने एक वर्ग से अलग होने का दावा किया। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया गया कि प्रशिक्षु व अन्य के बीच का वर्गीकरण केवल उन्हें चयन मंे प्राथमिकता देने की हद तक सीमित नही होगा बल्कि उपरी आयु सीमा में छूट, रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रायोजित करने के मामले में छूट देने के लिए भी होगा।

11. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर स्वीकार किया है कि 29 अप्रैल 2004 के स्पष्टीकरण का 31 जूलाई 2003 को अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों में संशोधन का प्रभाव नही हो सकता है। यह निर्धारित किया है कि 29 अप्रैल 2004 को जारी किया गया निर्देश उसी चयन से संबंधित था जिस पर 2003 के संशोधित नियम लागू थे इसलिए जी.ओ. दिनांक 29 अपै्रल 2004 कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति के होने के कारण वैधानिक नियमो का स्थान नही ले सकते थे बल्कि केवल वैधानिक नियमों के पूरक ही हो सकते थे। उक्त तर्क के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश की प्रकृति की रिट

पीएससीयू को जारी की कि वे प्रशिक्षुओं को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में दस अंक अतिरिक्त जोडे।

12. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील विजय हंसारिया ने यह तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय यूपी राज्य सडक परिवहन निगम व अन्य के मामले को गलत तरह से पढा है। उन्होने आगे कहा कि चयन 2001 के नियमों द्वारा शासित होता था जो केवल उत्तरांचल राज्य के स्थापना पर उपलब्ध बडी संख्या में पदों पर चयन करने के लिए बनाया गया था। उनका कहना है कि 2001 के नियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान दिया गया है कि यह केवल वर्ष 2002 में सीधी भर्ती के लिए लागू होगा। इस भर्ती के लिए प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब वर्ष 2001 में विज्ञापन जारी किया गया था। सभी प्रत्यर्थियों ने उपरोक्त विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। उपरोक्त नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नही दी गई है। यहां तक की विज्ञापन में भी प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नही दी गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि 2001 के नियम 11 नवंबर 2002 से नियम 6 के अनुसार अप्रभावी हो गये। श्री हंसारिया ने आगे कहा कि 2003 के नियमों को उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से 2001 के नियमों में संशोधन के रूप में पढा है। 2003 के नियमों को संदर्भित करने के बाद

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि 2003 के नियम 31 जूलाई 2003 को लागू हुये थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने इसे 2001 के नियमों में संशोधन मानकर गलती की है क्योंकि वे अस्तित्व में ही नही थे।

14. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि 2003 के नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव नही दिया जा सकता है क्योंकि इस आशय का स्पष्ट प्रावधान नही दिया गया है। उन्होने निर्णय एन.टी. देवेन कटी व अन्य बनाम कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन व अन्य, पी.महेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य तथा सोनिया बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य पर अपना मत आधारित किया। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रत्यर्थी को इसे चुनौती देने की अनुमति नही दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अंतिम चयन सूची 15 मई 2004 को प्रकाशित की गई थी और केवल जब प्रत्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर नही हुआ तो उन्होने जून 2004 में रिट याचिकायें दायर की। उन्होनें निर्णय चन्द्रप्रकाश तिवारी व अन्य बनाम शकुंतला शुक्ला व अन्य तथा मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य व अन्य पर अपना मत आधारित किया।

15. श्री हंसारिया द्वारा आगे बताया कि 27 नंवबर 2001 को 841 पद विज्ञापित किये गये थे। चयन के तुरंत बाद सभी पद विधिवत भर दिये गये है इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अंकों

में दस अंक जोडकर मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश जारी कर के क्षेत्राधिकार की त्रुटि की है। उन्होनें कहा कि किसी भी स्थिति में चयन सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद सभी रिक्तियां भर जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश को संभवतः लागू नही किया जा सकता है।

16. प्रत्यर्थियों की ओर से श्री सी.यू. सिंह ने तर्क दिया कि 29 अप्रैल 2004 को जारी कार्यकारी दस्तावेज के आधार पर 2003 नियमों के तहत प्रत्यर्थीयों के निहित अधिकारों को छीना नही जा सकता है। उन्होने आगे कहा किइस प्रकरण में 2003 नियमों को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नही दिया गया है क्योंकि ये नियम पूर्ववर्ती तथ्यों के संबंध में बनाये गये थे। उनके द्वारा निर्णय राम जी पुरूषोत्तम (मृतक) एल आर व अन्य बनाम लक्ष्मण भाई डी.कुरलावाला (मृतक) एल आर व अन्य पर अपना मत आधारित किया गया।

17. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

18. हमारी राय में पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई सभी दलीलों की जांच करना बिलकुल भी आवश्यक नही है। 2001 के नियमों को विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य अस्तित्व मंे आया था। राज्य ने 2 नंबवर 2001 को पीएससीयू को बडी संख्या में पदों को

भरने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए एक पत्र/अनुरोध भेजा था जो नये राज्य के निर्माण पर उपलब्ध हो गये। 27 नवंबर 2001 को राज्य सरकार ने पूरे राज्य में विभिन्न विभागों में जूनियर इंजिनियरों के 841 पदों का विज्ञापन दिया। यह कि भर्ती कि इतनी तत्काल आवश्यकता थी कि चूंकि पीएससीयू का बुनियादी ढांचा अस्तित्व में नही था इसलिए अनुरोध किया गया कि इस अवसर पर पदों को पीएससीयू के दायरे से बाहर कर दिया जाये और लिखित परीक्षा आईआईटी रूडकी द्वारा आयोजित की जाये। यह कि पीएससीयू इस प्रक्रिया से सहमत हुआ किन्तु केवल लिखित परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित रहा। साक्षात्कार अभी भी पीएससीयू द्वारा ही आयोजित किये जाने थे। 2001 के नियम विशेष रूप से उन उम्मीदवारो के चयन के लिए बनाये गये थे जिन्होने उपलब्ध पदो ंके लिए आवेदन किया।

19. नियम 12 नवम्बर 2001 को अधिसूचित किये गये थे। दो सप्ताह के भीतर 27 नवम्बर 2001 को आवश्यक विज्ञापन जारी किया गया था। 2001 के नियम विशेष रूप से निम्मानुसार उपबंध करते है।

1.संक्षिप्त नाम, का आरंभ और अनुप्रयोग/प्रभाव

(i) नियमों को उत्तरांचल अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा (आपातकालीन सीधी भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम 2003 कहा जायेगा।

(ii) यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगें

(iii) नियम केवल अधीनस्थ अभियंत्रण सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में सीधी भर्ती के लिए लागू होगें।

(iv) जूनियर इंजीनियरों की सीधी भर्ती के लिए नियम सभी विभागों पर लागू होगें।

(v) नियम सभी लागू सेवा नियम जो कि जूनियर इंजीनियर की सीधी भर्ती से संबंधित है पर केवल एक बार के लिए हावी होगें।

20. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि सभी उम्मीदवार जिसमें प्रत्यर्थी भी शामिल है जिन्होनें विज्ञापन दिनांक 27 नंबवर 2001 के अनुसरण में आवेदन किया था वे नियम 2001 से शासित थे। नियम 4 जूनियर इंजिनयर के पद पर चयन के लिए व्यापक मानदण्ड प्रदान करता है। लिखित परीक्षा आईआईटी रूडकी द्वारा आयोजित की जानी थी। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारो द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर किया जाना था। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची आईआईटी रूडकी द्वारा पीएससीयू को उपलब्ध करायी जानी थी। इसके बाद पीएससीयू को लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना था। धारा 4 (11) यह उपबंध करता है कि पीएससीयू उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोडकर एक योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किये है

तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक भी समान है तो बडे उम्मीदवार को छोटे उम्मीदवार की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जानबूझकर राज्य ने नियमो के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता देने का प्रावधान नही किया है। नियमों मे निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 27 नवम्बर 2001 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई अधिक महत्व दिये जाने का प्रावधान नही दिया था। प्रत्यर्थियों ने सभी उम्मीदवारों के साथ चयन प्रक्रिया में पूरी तरह जानते हुए भाग लिया कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नही दी जायेगी। यह इस न्यायालय के निर्णय यूपी एसआरटीसी में दिये गये निर्देशों के बावजूद किया गया। अतः यह नही कहा जा सकता कि 2001 के नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओ को कोई उपार्जित या निहित अधिकार प्राप्त हुआ था।

21. लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जूलाई 2003 को घोषित किया गया था। पीएससीयू द्वारा साक्षात्कार 18 दिसंबर 2003 से 22 दिसबंर 2003 तक आयोजित किया गया था, इसके बाद केवलचयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना था और नियुक्तियां की जानी थी।

22. जैसा कि पहले देखा गया था कि 2001 के नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि नियम केवल अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के लिए वर्ष 2002 में सीधी भर्ती के लिए लागू है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह अप्रभावी हो जाएगें। तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थी शासन में लागू सेवा नियमों एवं शासनादेशों द्वारा शासित होगें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 12 नवबंर 2002 को 2001 के नियमों का अस्तित्व समाप्त हो गया था।

23. हालांकि 31 जूलाई 2003 को 2003 के नियम बनाये गये थे। नियमों के शीर्षक का अवलोकन करने से पता चलता है कि नियम 31 जूलाई 2003 को लागू हुये थे। ये नियम सभी मौजूदा नियमों का स्थान लेते है लेकिन 2001 के नियमों के नियम 5 (4) को 2003 के नियमों के नियम 5 (4) द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है। 2001 के नियमों के नियम 5 (4) में प्रावधान है कि चयन के लिए साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोडे जायेगें लेकिन 2003 के नियमों के नियम 5 (4) में प्रावधान है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के मामले में लिखित परीक्षा मेंे प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक में 10 अतिरिक्त अंक की वृद्धि की जायेगी। हमारी राय में, प्रत्यर्थियों ने इन नियमों का कोई लाभ नही उठा सकते है। चयन प्रक्रिया 2001 के नियमों के तहत थी। 2001 के नियमों के साथ साथ विज्ञापन में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को दिये जाने वाले किसी भी अतिरिक्त अंक/वैटेज का प्रावधान नही था। 2003 के नियम 31 जूलाई

2003 को लागू हुये। नियमों में इस आशय का कोई स्पष्ट प्रावधान किये बिना इन्हें कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नही दिया जा सकता है। इसके अलावा 2001 के जिन नियमों में संशोधन की बात कही गयी थी वे नियम वास्तव में अस्तित्वहीन थे। 2001 के नियम 11 नवबंर 2001 को नियम 6 के संदर्भ में समाप्त हो गये। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि 2001 के नियमों के तहत 2001 मे शुरू हुई चयन प्रक्रिया में 2003 के नियम लागू होते थे।

24. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है चूंकि 2003 के नियम उत्तरांचल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2002 की रिट याचिका संख्या 44 (एसबी) में सुभाष चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य शीर्षक से जारी निर्देशों के अनुपालन में बनाए गए थे। वे चयन से संबंधित होंगे जो 2001 के नियमों और 27 नवंबर, 2001 को राज्य द्वारा जारी किए गए विज्ञापन द्वारा शासित थे। हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि हालांकि 2003 के नियमों को प्रथम संशोधन नियम के रूप में शीर्षक दिया गया है, वह एक मिथ्या नाम है। 2003 के नियमं 2001 के नियमों को संशोधित कर जो 11 नवंबर, 2001 से नियम 6 के संदर्भ में पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसलिए, प्रत्यर्थी यह दावा नहीं कर सकते कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का कोई अर्जित या निहित अधिकार चयन बाबत 2001 के नियमों में अथवा विज्ञापन दिनांक 11 नवम्बर 2001 को 2004 के स्पष्टीकरण द्वारा हटा दिया गया है।

25. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद्रा के मामले (सुप्रा) में केवल उन्हीं निर्देशों को दोहराया था जो इस न्यायालय द्वारा यूपीएसआरटीसी (सुप्रा) के मामले में दिए गए हैं। उन निर्देशों के अस्तित्व में होने के बावजूद, 2001 के नियमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। हमने पहले भी देखा था कि प्रत्यर्थी, असफल उम्मीदवार जो प्रशिक्षित प्रशिक्षु थे, पीएससीयू द्वारा चयन सूची प्रकाशित होने के बाद ही जागे थे। हम यह भी बता दे कि भले ही 2003 के नियम उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाए गए हो, नियम 31 जुलाई, 2003 को लागू हुए। इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त नियम लागू थे चयन के लिए जो 2001 के नियमों और 11 नवंबर, 2001 के विज्ञापन के तहत शासित था। उम्मीदवारों ने उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था। जैसा कि पहले देखा गया था। इस मामले में विज्ञापन 27 नवंबर, 2001 को जारी किया गया था। इसमें 2001 के नियमों में निर्धारित चयन के मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 12 नवंबर, 2001 को अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में लिखित परीक्षा आई.आई.टी. रूड़की द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2002 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई, 2003 को घोषित किया गया। 2003 के नियम 31 जुलाई, 2003 को अधिसूचित किए गए। साक्षात्कार 18 दिसंबर, 2003 से 22 दिसंबर, 2003 के बीच आयोजित किए गए। 2001 के नियमों के अनुसार, साक्षात्कार के

लिए दिए जाने वाले अंक लिखित परीक्षा के अंकों से 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते थे। 2001 के नियमों के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की श्रेणी में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंकों में 10 अंक जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसे 2003 के नियमों द्वारा लागू करने की मांग की गई थी जो 31 जुलाई, 2003 को लागू हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, 27 नवंबर, 2001 को विज्ञापित चयन मानदंड में बदलाव करना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। चूंकि कोई प्राथमिकता प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिएनहीं दी गई थी ऐसे में उस श्रेणी के कई पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया होगा। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इस हद तक हम श्री हंसारिया द्वारा की गई दलील को स्वीकार करते हैं। चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता देखें के मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 3 एससीसी 512 (पैरा 27)।

26. हम श्री हंसारिया की इस दलील को स्वीकार करना उचित नही पाते है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ केवल उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं तक ही सीमित है, जिन्होंने सीधी भर्ती की श्रेणी में एक या अधिक उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील यूपी एसआरटीसी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से उपरोक्त कथन का समर्थन करना चाहते हैं जो इस प्रकार था-

"अन्य बातें समान होने पर एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु को सीधी भर्ती से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

उपरोक्त वाक्यांश अन्य चीजें समान होने का एकमात्र स्वाभाविक अर्थ यह है कि सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन प्रक्रिया, यानी एक ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना पड़ा होगा। इसके अलावा, उनकी परस्पर योग्यता दोनों श्रेणियों पर लागू समान मानदंडों पर निर्धारित की जाती है। इस मामले में, यह उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग है। प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते हैं क्योंकि उनसे आम तौर पर लिखित परीक्षा में सीधी भर्ती से कम अंक प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की लिखित परीक्षा के कुल योग में 10 अंक जोड़कर, उन्हें सीधी भर्ती के बराबर रखने की मांग की गई है। इसलिए, अनिवार्य रूप से यह प्राथमिकता बोर्ड भर के सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को दी जानी है। इसे केवल उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है जो संयोगवश सीधी भर्ती के एक या अधिक के समान अंक प्राप्त कर लेते हैं।

यदि अतिरिक्त 10 अंक केवल ऐसे प्रशिक्षित उम्मीदवारों तक ही सीमित किये जाने है तो इसके परिणामस्वरूप शत्रुता पूर्ण भेदभाव होगा। इसे एक उदाहरण देकर सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए कि प्रशिक्षित प्रशिक्षु श्रेणी से संबंधित 10 उम्मीदवार है। अब

मान लीजिए कि उम्मीदवार नंबर 1 ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जबकि उम्मीदवार नंबर 2 से 10 ने कुल अंक 51 से 59 तक प्राप्त किए है लेकिन उम्मीदवार नंबर 1 ने सुरक्षित किया है सीधी भर्ती के समान कुल अंक प्राप्त किये है अर्थात, 50 प्रतिशत जबकि अभ्यर्थी क्रमांक 2 से 10 ने किसी भी सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त नहीं किए है। 29 अप्रैल, 2004 के स्पष्टीकरण के आधार पर उम्मीदवार नंबर 1 को 10 प्रतिशत वेटेज का लाभ मिलेगा और नंबर 2 से 10 तक के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीदवार नंबर 1 को वेटेज दिए जाने के बाद उसके कुल अंक 60 प्रतिशत होंगे। इससे उसे अन्य सभी उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा, यानी उम्मीदवार नंबर 2 से 10 तक, जिन्होंने उम्मीदवार नंबर 1 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनके पास वास्तव में कम अंक है यदि उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया जाता है। इसलिए, उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी संख्या 2 से 10 तक को इंटर-से-मेरिट में अभ्यर्थी क्रमांक 1 से निचली रैंक पर दिखाया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु उम्मीदवार जो अपने सहकर्मी से कम अंक प्राप्त करता है न केवल सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों से आने निकल जाएगा, बल्कि अपनी ही श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भी आगे निकल जाएगा। इस तरह की व्याख्या से बेतुके परिणाम सामने आएंगे। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देने का यह इरादा नहीं है। श्री हंसारिया द्वारा रखी गई

व्याख्या वास्तव में प्रशिक्षित प्रशिक्षु उम्मीदवारों की श्रेणी के भीतर एक उप-वर्गीकरण तैयार करेगी। इस तरह के उप-वर्गीकरण का प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तार्किक संबंध नहीं होगा। प्राथमिकता का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को महत्व देना है ताकि राज्य को राज्य खर्च पर उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का लाभ व्यर्थ ने जाए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन होगा।

27. यूपीएसटीआरसी के मामले (सुप्रा)में इस न्यायालय द्वारा जारी एकमात्र निर्देश सीधी भर्ती के उपर प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देना था। फैसले में इस बात का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि प्राथमिकता कैसे दी जानी है। वैधानिक नियमों में आवश्यक प्रावधान करना पूरी तरह से सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था। उस मामले में, प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षुता पूरी करने वाले कई उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा होने पर नियुक्ति का दावा किया था। अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवारों ने कई सरकारी आदेशों पर अपना पक्ष आधारित किया, जिनके अनुसार यह वादा किया गया था कि प्रशिक्षुता के सफल समापन पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवार को रोजगार दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में यूपीएसआरटीसी इस न्यायालय के समक्ष आया और दावा किया कि किसी भी प्रशिक्षित प्रशिक्षु को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पर कोई दायित्व नहीं

था। इस न्यायालय ने विभिन्न सरकारी परिपत्रों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उम्मीदवारों के लिए निश्चित रोजगार का कोई वादा नहीं किया गया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के खर्च पर प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रशिक्षण का उपयोग किया जाए कुछ निर्देश जारी किए गए जिन्हें पहले दोहराया गया है। जैसा कि पहले देखा गया था उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, चयन प्रक्रिया में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जो 2001 के नियमों और 27 नवंबर, 2001 के विज्ञापन द्वारा शासित थी। चयन की प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद्रा (सुप्रा) के मामले में अपना फैसला सुनाया। जिन कारणों को दलीलों में या किसी भी पक्ष के विद्वान वकील द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है उनके कारण 2003 के नियमों को 31 जुलाई, 2003 से तैयार और लागू किया गया नतीजतन, जब साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे थे, तो पीएससीयू को 2003 के संशोधन नियमों का सामना करना पडा और इसलिए, पीएससीयू ने 5 अप्रैल, 2004 को एक पत्र द्वारा स्पष्टीकरण मांगा कि चयन प्रक्रिया में 2001 के नियम लागू होंगे या 2003 के नियम लागू होंगे। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने कानूनी सलाह के आधार पर 29 अप्रैल, 2004 को पीएससीयू को लिखा कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता तभी दी जानी है, जब दोनों उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हों। कानूनी राय में स्पष्ट किया गया कि 2003 के संशोधित नियम

पूर्व में शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे। इसलिए 2001 नियमावली के तहत चयन प्रक्रिया को बाहर रखा गया।

28. हालांकि, हमें श्री सी.यू. सिंह के इस कथन में दम नजर आता है कि 2004 के स्पष्टीकरण का 2003 के नियमों में संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निस्संदेह, 2004 का स्पष्टीकरण केवल एक कार्यकारी आदेश है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि कार्यकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते। ऐसे कार्यकारी आदेश/निर्देश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के पूरक हो सकते हैं। श्री सी.यू. सिंह की इस दलील को स्वीकार करने के बावजूद कि 29 अप्रैल, 2004 के स्पष्टीकरण का 2003 के नियमों को अधिक्रमित, संशोधित या परिवर्तित करने का प्रभाव नहीं होगा, प्रत्यर्थियों को कोई राहत देना संभव नहीं होगा। 2003 के नियमों के तहत मानदंड भविष्य की सभी भर्तियों को नियंत्रित करते हैं। हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि 2001 के नियमों के तहत प्रत्यर्थियों, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई निहित अधिकार नहीं मिला है। हम श्री सी.यू. सिंह की इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रत्यर्थियों (प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं) का दावा 2003 के नियमों में किए गए तथाकथित संशोधन के आधार पर 2001 के नियमों के तहत कवर किया जाएगा। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने एक गलती की सबसे पहले, यह मानकर कि 2003 के नियम

लागू होते हैं, और दूसरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय दिए जाने के समय तक सभी पद भरे हुए थे।

29. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कानून की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला:-

1- यूपी राज्य विद्युत परिषद अप्रेन्टिस वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम यूपी राज्य व अन्य (2000) 5 एस सी सी 438,

2- एन.टी. देवेन कटी व अन्य बनाम कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन व अन्य (1990) 3 एस सी सी 157,

3- पी.महेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (190) 1 एस सी सी 411 : 1989 (2) एसयूपीपीएल. एस सी आर 385

4- सोनिया बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (2007) 10 एस सी सी 627: 2007 (8) एस सी आर 883

5- तिवारी व अन्य बनाम शकुंतला शुक्ला व अन्य (2002) 6 एस सी सी 127: 2002 (2) एस सी आर 948,

6- मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य व अन्य (2010) 12 एस सी सी 576,

7- राम जी पुरूषोत्तम (मृतक) एल आर व अन्य बनाम लक्ष्मण भाई डी.कुरलावाला (मृतक) एल आर व अन्य (2004) 6 एस सी सी 455

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ' सुवास ' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री निखिल गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।